न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरबिन्दर डी0 सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
70/दावा/2019	28.6.2019	24.06.2024

कुसुमचन्द जवेरी एच.यू.एफ.कर्ता श्री गितेश जवेरी आयु 42 पुत्र श्री कुसुमचन्द जवेरी जाति ओसवाल जैन निवासी 144 ओम डिफेन्स कोलोनी, वेशाली नगर जयपुर जिला जयपुर

.....वादी

बनाम

1. बलजीत सिंह आ0 चरण सिंह जाति जट सिक्,ा निवासी प्रेमपुरा तह0 दिगोद जिला कोटा
2. गुरूराज सिंह आ0 अवतार सिंह जाति जट सिक्ख निवासी कंवरपुरा तह0 दीगोद जिला कोटा
3. मदनसिंह मृतक जर्ये कायम मुकामान्
   - 3/1. धनकंवर पत्नी मदन सिंह
   - 3/2. भूलसिंह पुत्री मदन सिंह
   - 3/3. विष्णुकंवर पुत्री मदन सिंह
   - 3/4. रणजीत सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह पौत्र स्व0 मदन सिंह
   - 3/5. तेजराज सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह पौत्र मदन सिंह
   - 3/6. विष्णुकंवर पत्नी भंवरसिंह पुत्रवधु मदनसिंह जातियान् राजपुत निवासी जाखमुण्ड तह0 तालेडा
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा बून्दी (राज0)

प्रतिवादीगण

वकीलवादी – श्री नन्दसिंह सौलंकी
वकील प्रतिवादी – श्री हिम्मत सिंह

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीएक्ट

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य निम्नानुसार है। यह कि वादी के खाते में ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा में खसरा नम्बर 412/205/2 की 4 बीघा भूमि स्थित चली आ रही है। पूर्व में प्रतिवादी नं0 1 व 2 तथा अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 412/205 की 48 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी जिसमें प्रतिवादी नं0 1 व 2 का 1/12 हिस्सा निहित था। प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने अपने 1/12 हिस्से की आराजी को वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12-6-2017 को बेचान कर बेची गयी भूमि पर वादी को कब्जा सम्भला दिया। उक्त जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12-6-2017 के आधार पर उक्त भूमि का इंतकाल नं0 749 दिनांक 31-7-2017 वादी के नाम खोल कर तस्दीक किया गया तथा वादी का नाम 1/12 हिस्से पर दर्ज किया गया। वादी खरीद शुदा 1/12 हिस्से की आराजी जो लगभग 4 बीघा होती है, पर वादी खरीद की तिथि से बहेसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा था। इसके पश्चात् खसरा नम्बर 412/205 की भूमि का खातेदारों के मध्य न्यायालय द्वारा विभाजन की डिक्री पारित कर दी गयी जिसकी इजराय में विभाजन किया जाकर नामान्तरकरण सं0 769 दिनांक 7-8-18 से वादी की खरीदशुदा आराजी के नये खसरा नम्बर 412/205/2 रकबा 4-00 बीघा कायम कर दिया गया। उपरोक्त ख.नं. 412/205/2 की 4-00 बीधा भूमि से बेचान के बाद प्रतिवादी नं. 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । उक्त भूमि पर वादी खरीद की तिथि से काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु भूमियों का विभाजन होने के पश्चात् वादी अपनी भूमि पर दिनांक 25-8-18 को गया तो वहां पर प्रतिवादीगण ने वादी को काश्त करने से इन्कार कर दिया तथा झगडा व मारपीट पर आमादा हो गये। इस पर वादी ने कहा कि यह भूमि उसकी खरीदशुदा भुमि है इस पर प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि चाहे कुछ भी हो जावे उक्त भूमि पर वादी को कभी भी कब्जा नहीं देगें तथा कब्जा देने के बदले रूपयों की अवैध रूप से

Scanned with OKEN Scanner

ग की तथा कहा कि इस वर्ष तो हम ही काश्त करके रहेगें। जब कि प्रतिवादीगण को वादी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा बनाये रखने व अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। आखातीज पर प्रतिवादीगण द्वारा फसल काट लेने के बाद वादी पुनः दिनांक 12-5-2019 को अपने खेत पर गया तो वहा प्रतिवादी नं. 3 मिला । वादी ने प्रतिवादी नं0 3 से वादी की भूमि पर से कब्जा छोडने हेतु कहा तो प्रतिवादी नं. 3 ने वादी व उसके प्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी दी तथा भूमि पर से कब्जा छोडने से इन्कार कर दिया यदि प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से बैदखल कर उसका कब्जा वादी को नहीं दिलाया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी क्षति पुर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी । वादी अपनी ही खरीद शुदा भूमि के उपयोग व उपभोग से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगा। यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में बैदखली व कब्जा प्राप्ति का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जिस हेतु यह वाद प्रस्तुत है। वाद कारण प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने वादी को अपने 1/12 हिस्से की भूमि बेचान कर कब्जा देने पर, विभाजन बाद बेची गयी भूमि के नये खसरा नम्बर कायम होने पर व उसके बाद प्रतिवादी नं. 3 द्वारा प्रतिवादी नं. 1 व 2 की शह पर वादी के खाते की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करके कब्जा करने पर, प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनांक 15-5 2019 को कब्जा छोडने से इन्कार करते हुये कब्जा नहीं देने की धमकी देने पर पैदा हुआ ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 3 की दौराने वाद तलबी पर मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादी सं0 3 के कायम मुकामान बनाये गये। प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक श्री हिम्मत सिंह ने अभिभाषक पत्र प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा भूमि का बेचान स्वीकार है परन्तु कभी भी उक्त भूमि पर वादी का कब्जा नही रहा है। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर वादी का कब्जा नही है एवं कभी भी वादी से प्रतिवादीगण के द्वारा रूप्यो की मांग नही की गई । वादी का कोई हक उक्त भूमि पर नही बनता है क्योंकी वादी के द्वारा उक्त भूमि शामलामी कृषि भूमि में से खरीद की थी जहॉ पर पहले से विधिवत बटवारा नही हो रखा था एवं वर्तमान में वाद वणित भूमि की अच्छी किमते होने के कारण जबरन वादी उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादीगण का जवाबदावा स्वीकार कर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वाद में निम्नांकित तनकीयात कायम की गई -

1. आया कि वादिनी ख0सं0 412/205/2 रकबा 4 बीघा पर प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है।

   वादी

2. आया कि दिनांक 25.8.2018 को प्रतिवादी ने वादी की वाद वर्णित कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तथा पुनः कब्जा वापस देने से इन्कार कर दिया।

   वादी

3. आया कि ख0सं0 412/205/2 रकबा 4 बीघा भूमि पर कब्जा वापस प्राप्त करने का अधिकारी है।

   वादी

4. आया कि वाद वर्णित कृषि भूमि पर वादी जबरन कब्जा करना चाहता है।

   प्रतिवादीगण

5. अनुतोष

वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी संवत 2069-72 वाके ग्राम गोविन्दपुरबावडी प्रदर्श-1 एवं वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 प्रदर्श-2 है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पर जिरह की गई। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस उभय पक्ष सूनी गई । वकील वादी द्वारा दौराने बहस वाद वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी वादी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर राजस्व रेकार्ड में विधिक खातेदार है जिस पर प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही रहा है वे अतिक्रमी की हेसियत से वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर वादी को अपने अधिकारो से वंचित कर रहे है। अतः प्रतिवादीगण को वादी की भूमि से बेदखल कर कब्जा दिया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

ील प्रतिवादी द्वारा द्वौराने बहस जवाब दावा को दोहराते हुए भूमि क्रय किये जाने के दौरान बटवारा नही होने एवं भूमि पर कभी कब्जा नही होने की बात कहते हुए जवाब दावा को ही बहस ...ा अवगत कराया।

बाद बहस पत्रावली में निम्नानुसार तनकीवार विवेचन की और अग्रसर होते है।

तनकी सं0 1 -

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर है वादी ने वाद पत्र एवं साक्ष्य में अंकित कथनो के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 102 सं0 2069-72 प्रदर्श-1 एवं वर्तमान जमाबन्दी खाता सं0 26 संवत् 2076 वाके ग्राम गोविन्दपुरबावडी प्रस्तुत की गई। नकल जमाबन्दी का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित आराजी सं0 412/205/2 रकबा 04 बीघा जिसके बाद बटवारा नवीन नम्बर 630/205 रकबा 0.6475 हैक्टे0 वर्तमान जमाबन्दी अनुसार दर्ज रेकार्ड है पर कुसुमचन्द जवेरी एच.यु.एफ.कर्ता गितेश जवेरी आ0 कुसुमचन्द जवेरी खातेदार दर्ज रेकार्ड होने से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार वादी की भूमि पर नही होने से यह तनकी वादी के पक्ष में प्रमाणित होती है।

तनकी सं0 2 -

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा अपने साक्ष्य में प्रस्तुत कथन एवं प्रतिवादी द्वारा दौराने जिरह यह स्वीकार करना की प्रतिवादीगण द्वारा 2018 में अतिक्रमण किया जाना एवं तत्पश्चात पुलिस में रिपोर्ट करवाया जाकर वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183 मे प्रस्तुत किया जाना एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा की चरण सं. 5 में यह कथन कहना कि उक्त भूमि पर कभी भी वादी का कब्जा नही रहा है। यह स्वयं सिद्व करता है कि वादी की खातेदारी अधिकार की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कोई हक अधिकार हो। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में सिद्व होती है।

तनकी सं0 3 -

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर है। भूमि ख0स0 412/205/2 रकबा 4 बीघा जिसके बाद बटवारा नवीन नम्बर 630/205 रकबा 06475 हैक्टे0 वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादी खातेदार दर्ज रेकार्ड होने से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में सिद्व होती है।

तनकी सं0 4 -

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा मे कथन किया कि वादी द्वारा उक्त भूमि शामलाती कृषि भूमि में से खरीद की गई, जिसका विधिवत बटवारा नही हुआ था। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रस्तुत नकल जमाबन्दी खाता सं0 26 प्रदर्श-2 प्रस्तुत की जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात विधिवत बटवारा होकर वादी के नाम भूमि पृथक से दर्ज रेकार्ड हुई है जिसका वादी रेकार्डेड खातेदार होने से अपनी भूमि पर अपनी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व वादी के पक्ष में सिद्व होती है।

तनकी संख्या 5:-

आया वादी अपने हक की तनकी संख्या 1 लगायत 3 को साबित करने मे पूर्णतः सफल रहे है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक की तनकी संख्या 4 को साबित नही किया जा सका अतः वादी को अधिकार है कि वह प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करवाकर भूमि का कब्जा प्राप्त करे।

आदेश

उक्तानुसार तनकीवार विवेचन एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड प्रदर्श-1 एवं प्रदर्श-2 अनुसार विवादित भूमि खसरा संख्या 630/205 रकबा 0.6475 हैक्टै0 वाके ग्राम गोविन्दपुरबावडी के

Scanned with OKEN Scanner

काबिज खातेदार है। जो कि वादी द्वारा जर्ये विक्रय पत्र क्रय कर प्राप्त की गई होने से प्रतिवादीगण से भूमि पर काबिज है, वह मात्र अतिक्रमी है अतः वादीगण को अधिकार है कि वह प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करवाये तद्नुसार ही वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा तहसीदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि वह विवादित आराजी ख0सं0 630/205 रकबा 0.6475 हैक्टे0(पुराना ख. सं. 402/205/2 रकबा 4 बीघा) वाके ग्राम गोविन्दपुरबावडी से अतिक्रमियो को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा विधिवत रूप से खातेदार वादी को संभलावे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।

इजलास हरबिन्दर डी. सिंह, आर0ए0एस0

कुसुमचन्द जवेरी एच.यू.एफ.कर्ता श्री गितेश जवेरी आयु 42 पुत्र श्री कुसुमचन्द जवेरी जाति ओसवाल जैन निवासी 144 ओम डिफेन्स कोलोनी, वेशाली नगर जयपुर जिला जयपुर

.......वादी

बनाम

1. बलजीत सिंह आ0 चरण सिंह जाति जट सिक,ा निवासी प्रेमपुरा तह0 दिगोद जिला कोटा
2. गुरूराज सिंह आ0 अवतार सिंह जाति जट सिक्ख निवासी कंवरपुरा तह0 दीगोद जिला कोटा
3. मदनसिंह मृतक जर्ये कायम मुकामान्
   3/1. धनकंवर पत्नी मदन सिंह
   3/2. भूलसिंह पुत्री मदन सिंह
   3/3. विष्णुकंवर पुत्री मदन सिंह
   3/4. रणजीत सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह पौत्र स्व0 मदन सिंह
   3/5. तेजराज सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह पौत्र मदन सिंह
   3/6. विष्णुकंवर पत्नी भंवरसिंह पुत्रवधु मदनसिंह जातियान् राजपुत निवासी जाखमुण्ड तह0 तालेडा
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा बून्दी (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीएक्ट

70/दावा/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री नन्दसिंह सौलंकी एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि वह विवादित आराजी ख0सं0 630/205 रकबा 0.6475 हैक्टे0(पुराना ख.सं. 402/205/2 रकबा 4 बीधा) वाके ग्राम गोविन्दपुरबावडी से अतिक्रमियो को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा विधिवत रूप से खातेदार वादी को संभलावे।

नीज.............................. मुबलिक................................. बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह........................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 24 माह 06 वर्ष 2024 को जारी की गई।

मोहर

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned with OKEN Scanner